न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 05/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मानसिंह दत्तक पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी ग्राम तिगरिया तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट/सायल

बनाम

1. किस्तुरी पुत्री भगवान पत्नि नत्थी जाति मीना,
2. नहनी पुत्री भगवान पत्नि रामकिशन जाति मीना निवासीयान हाल ग्राम सौंख तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
3. छोटी पुत्री भगवान पत्नि सुखपाल जाति मीना निवासी हाल ग्राम जालूकी तहसील नगर जिला भरतपुर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान/ गैर सायलान

उपस्थित :–
1.श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2.श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक असल रेस्पो0 ।
3.श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–29.01.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय दिनांक 26.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 हाल 458, 470, 486, 491 किता 4 रकबा 2.14 है0 का 1/3 हिस्सा ख0 नं0 510 रकबा 0.68 है0 का 1/2 हिस्सा ख0 नं0 494, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502 किता 8 रकबा 3.18 है0

 28.1.19

का 1/24 हिस्सा ख0 नं0 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 किता 8 रकबा 2.98 है0 का 1/24 हिस्सा सभी वाके ग्राम तिगरिया व ख0 नं0 1, 2 व 11 किता 3 रकबा 2.46 है0 का 1/3 हिस्सा जो राजस्व ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर में स्थित है । पक्षकारान जाति से मीना है जिस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है । मीना समाज पुरानी समय से ही चली आ रही रीति रिवाज व प्रथा से गर्बन होते हैं । सायल ने प्रार्थना पत्र में पक्षकारान के परिवार का सजरा अंकित किया है । बाबूलाल विवाहित था जिसकी पत्नि का नाम सोमोती था जो बाबूलाल द्धारा मानसिंह को गोद लेने से पहले ही गुजर गई थी । बाबूलाल के कोई संतान पैदा नहीं हुई । बाबूलाल दिनांक 28.08.2016 को निसंतान फौत हो गया । बाबूलाल शुरू से ही सायल के पिता के पास रहता चला आ रहा था तथा सायल के पिता के राशनकार्ड में बाबूलाल का नाम सम्मिलित में दर्ज चला आ रहा है । बाबूलाल ने अपने वंश को चलाने के लिए सायल को मीना समाज की रीति रिवाज अनुसार बिना दबाव के सचेत अवस्था में दि0 9.7.2011 को सायल के प्राकृतिक मां बाप ने सायल को स्वेच्छा से बाबूलाल को हस्व रिवाज बिरादरी गांव के पंच पटेल नातेदार रिश्तेदारों के समक्ष गोद दे दिया । गोद के बाद से ही सायल बाबूलाल का दत्तक पुत्र चला आ रहा है । सायल ने बाबूलाल के मरते समय तक सेवा चाकरी की थी । बाबूलाल के मरने पर सायल ने ही उसका दाह संस्कार किया कर्म किये व सायल के ही पगड़ी बंधी थी । बाबूलाल के मरने के बाद से ही बाबूलाल ही तमाम चल अचल सम्पति व कृषि भूमि पर सायल काबिज चला आ रहा था । बाबूलाल ने गोदनामा की लिखा पढ़ी दि0 19.7.2011 को अलवर कचहरी में स्वेच्छा, सहमति से गवाहान की मौजूदगी में पढ़ सुनकर कराई थी । बाबूलाल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी से गैर सायलान का किसी तरह का संबंध व सरोकार नहीं है । मीना जाति में महिलाओं को मृतक की सम्पति में कोइ हक हिस्सा व अधिकार नहीं होता है । मृतक की सम्पति उसके परिवार के निकट वारिस पुरूष को ही मिलती है या मरने वाला कोई लेख लिखवाकर मरता है उस लेख के अनुसार लेख में अधिकृत व्यक्ति को मृतक की सम्पति मिलती है । गैर सायल सं0 1 ल0 3 बेईमान किस्म की महिलायें हैं जिन्होंने बाबूलाल के मरने के बाद उसका विरासत इन्तकाल पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा लिया है व गैर सायल सं0 4 से मिलकर उक्त इन्तकाल को स्वीकार कराना चाहती है जिस बाबत गैर सायलान को कोई अधिकार नहीं है । यदि गैर सायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को अपार हानि होगी । इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए गैर सायलान को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों की बहस सुनकर सायल का प्रार्थना पत्र दि0 26.12.2017 को खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 26.12.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा दावे के तथ्यों का हवाला दिया । साथ ही विवादित आराजी का विवरण दिया । विवादित आराजी ग्राम तिगरिया में स्थित है । सायल ने घोषणा का वाद तहत न्यायालय में पेश किया

कि बाबूलाल अपने हिस्से के अनुसार खातेदार था जो दि0 28.08.2016 को फौत हो गया । बाबूलाल निसंतान था जिसके जीवनकाल में ही उसकी पत्नि फौत हो गयी । दि0 19.7.2011 को बाबूलाल ने मानसिंह के प्राकृतिक पिता किशोरीलाल को स्वेच्छा से रीति रिवाज बिरादरी से दत्तक पुत्र के रूप में गृहण कर लिया व लिखित में गोदनामा स्वेच्छा से तहरीर करा लिया । अपीलांट का दावा यह है कि अपीलांट प्राकृतिक पुत्र है जिसे विरासतन अधिकार मिले हैं । तहत न्यायालय ने हमारा प्रार्थना पत्र गलत खारिज कर दिया और कहा कि रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 खातेदार हैं उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती है । अपील में हमारा कहना है कि जिस इन्तकाल की रेस्पो0 बात कर रहे हैं दि0 25.11.2016 को वाद विचाराधीन रहने पर यह नामान्तकरण दर्ज हुआ है । अपीलांट का वाद इससे पहले का है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजाति में बहनों को तो किसी प्रकार का अधिकार नहीं बनता है । तहत न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया । द्वितीय मुख्य बिन्दु में न्यायालय ने यह कहा है कि तहत न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार को पाबन्द नहीं किया जा सकता है । यदि खातेदार का कब्जा नहीं है तो भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अपीलांट विवादित आराजी में बाबूलाल की वृद्धावस्था से ही कब्जे में था । विवादित आराजी में बहिनों का तो कब्जा ही नहीं रहा है । यह कोई सिद्धान्त या नियम नहीं बनाया जा सकता है कि खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । तहत न्यायालय ने यह गलत अवधारणा मानी कि गोदनामा पर मूलवाद में निर्णय होगा । अपीलांट का यह कहना है कि जब गोदनामा मेरा रेकार्ड में पेश है और उसका कोई विरोध नहीं है तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं है या सिविल न्यायालय में चैलेन्ज नहीं है तो यह माना जावेगा कि अपीलांट का गोदनामा सही है । बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि तहत न्यायालय में रेस्पो0 का यह कहना कि मीना जाति में सेरेमनी करली है तो ही गोद माना जावेगा । गोदनामा लिखित में तो केवल एक सव्यवहार है । गलत इन्द्राजों के आधार पर यदि अपीलांट की आराजी स्थानान्तरित हो गयी तो अपीलांट को नुकसान होगा । ऐसी स्थिति में यथास्थिति रखते हुए रहन, बय के लिए पाबन्द कर देना चाहिए । जब प्राईमाफैसी केस अपीलांट का बन रहा है तो उपखण्ड अधिकारी को अपीलांट को देखना चाहिए था जबकि तीनों बिन्दू अपीलांट के पक्ष में हैं । यदि विवादित आराजी बेच दी जाती है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए रेस्पो0 को ताफैसला वाद पाबन्द करने का अनुरोध कियया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.बी.जे. 2004 पेज 606, आर.आर.डी. 2002 पेज 744, आर.बी.जे. 2015 पेज 544, 299, आर.बी.जे. 1999 पेज 414 व आर.आर.डी. 1987 पेज 426 पेश की ।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कहना है कि अपील में मुख्य दस्तावेज गोदनामा है । रेस्पो0 का यह कहना है कि दि0 19.7.2011 को कोई प्रमाण नहीं है कि गोदनामा हुआ है तथा कोई साक्ष्य व दस्तावेज नहीं है । दि0 29.7.2011 को अलवर आकर गोदनामा लिखित में होना बता रहे हैं । कठूमर में गोदनामा क्यों नहीं कराया । कठूमर में सारी सुविधाएं है, यहां अलवर आकर 100 रू0 के स्टाम्प पर गोदनामा लिखा है । यह दस्तावेज फर्जी तैयार किया है । अलवर आकर क्यों गोदनामा कराया ये अपीलांट नही बता पाये । कठूमर में सब रजिस्टार से गोदनामा क्यों तस्दीक नहीं कराया । बाबूलाल के मरने

के बाद विरासत की कोई कार्यवाही नहीं की । क्या गोदनामा का इन्द्राज घटनाबही में कराया है । जब बाबूलाल की बहिन विरासत का प्रयास कर रही थी तो अपीलांट के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी । अनरजिस्टर्ड गोदनामा से सिविल न्यायालय में अपने अधिकार तय होगें । यहां पर अनरजिस्टर्ड गोदनामा से अधिकार नहीं मिल सकते हैं । आगे कहा कि रेस्पो0 गोदनामा निरस्त कराने का दावे क्यों करें । हमारे नाम रेकार्ड है । अपीलांट स्वयं तय कराये । तहत न्यायालय ने अपने आदेश में सही लिखा कि मूल दावें में तय होगा । रेस्पो0 खातेदार है तो इनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कैसे जारी हो सकती है । अपीलांट के अभी अधिकार तय नहीं हुए है तो इनका कब्जा कहा है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में यदि पुरूष नहीं है तो महिला को सम्पति स्थानान्तरित होगी । इससे क्या फर्क पड़ता है कि नामान्तकरण दावे के विचाराधीन रहते हुआ है तो ये कहते कि तहसीलदार ने एवं पटवारी ने अपने क्षेत्राधिकार` आधार पर कार्य किया है । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश सही है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया ।

जवाबुल जवाब में अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अलवर में लिखने मात्र से फर्जी दस्तावेज नहीं हो सकता है । यदि अपीलांट ने फर्जकारी की है तो रेस्पो0 इसे चैलेन्ज करते । नामान्तकरण का अपीलांट को पता ही नहीं है । अपीलांट को नोटिस क्यों नहीं दिया । अपीलांट ने तो पहले ही दावा कर दिया था । यह भी रेस्पो0 बताये कि एस.टी. में महिलाओं, बहिनों, ब्याही लड़कियों को कहा से अधिकार मिलेगें । अविवाहित लड़कियों को अधिकार जाता है । कानूनन किसी भी स्थिति में शादीशुदा लड़कियों को अधिकार नहीं मिलेगें । तहत न्यायालय ने गलत रूप से हमारा प्रार्थना पत्र खारिज किया है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश दि0 26.12.2017 का अवलोकन किया । प्रस्तुत कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय में अपीलांट/वादी का वाद दत्तक पुत्र के आधार पर विरासतन अधिकार चाहा है तथा रेस्पो0 को जनजाति के कानून के प्रावधानों के अनुसार अधिकार नहीं होना माना है । मूल वाद के निर्णय में ही दत्तक पुत्र का साक्ष्य व अन्य तथ्यों से निर्णय होगा । यद्यपि यह सही है कि रेस्पो0 वर्तमन में रेकार्ड में सह खातेदार है परन्तु जब मूलवाद में ही दत्तक पुत्र व गोदनामा का निर्णय होना है तो तब तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा विवादित आराजी को रहन, बय नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के निर्णय तक दिया जाना उचित समझते हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर तहत न्यायालय का आदेश निरस्त होने से अपील अपीलांट काबिल स्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के आदेश दि0 26.12.2017 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा विवादित आराजी को आगे बय नहीं करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.1.19.

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर